पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2021

1. साहबराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा ।

:- वादी

ब ना म

1. आदराम पुत्र धारू जाति निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा ।
2. साधुराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा।
3. मनीराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा ।
4. सरोज पुत्री आदराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 364/345 के खसरा सं0 443/1 की 5.058है0 कुल 5.058है0 में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार रोह मौजा मुन्दड़ियाछोटा के खाता सं0 134/127 के खसरा सं0 22 की 6.373है0 खसरा स0 145 की 7.6380है0 खसरा सं0 153 की 12.000है0 कुल 26.011है0 में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 1 आदराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी साहबराम, प्रतिवादी सं0 2 साधुराम प्रतिवादी सं0 3 मनीराम, को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2021

1. साहबराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा ।

:- वादी

ब ना म

1. आदराम पुत्र धारू जाति निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा ।
2. साधुराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा।
3. मनीराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा ।
4. सरोज पुत्री आदराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ियाछोटा त0 भादरा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: वादी**

वकील श्री रोहीताश शर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 25.06.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 364/345 के खसरा सं0 443/1 की 5.058है0 कुल 5.058है0 में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार रोह मौजा मुन्दड़ियाछोटा के खाता सं0 134/127 के खसरा सं0 22 की 6.373है0 खसरा स0 145 की 7.6380है0 खसरा सं0 153 की 12.000है0 कुल 26.011है0 में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा धारू की खातेदारी हुआ करती थी। धारू के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सुलतान ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित हैं। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा [illegible] स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया [illegible] सं0 05 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 साहबराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ियाछोटा द्वारा सदस्यप्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही रासलाना प्रदर्श 2 जमाबंदी

Scanned with CamScanner

भूप्रबन्धक विभाग प्रदर्श 3 जमाबंदी ग्राम मुन्दडियाछोटा प्रदर्श 4 व जमाबंदी भूप्रबन्धन विभाग मुन्दडियाछोटा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही रासलाना व मुन्दड़ियाछोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि सदस्यप्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही रासलाना प्रदर्श 2 जमाबंदी भूप्रबन्धक विभाग प्रदर्श 3 जमाबंदी ग्राम मुन्दड़ियाछोटा प्रदर्श 4 व जमाबंदी भूप्रबन्धन विभाग मुन्दड़ियाछोटा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 ता 5 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण के अनुसार आदराम के तीन पुत्र साहबराम,साधुराम, मनीराम व एक पुत्री सरोज तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 जन्म से हक हिस्सा निहित है । चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 364/345 के खसरा सं0 443/1 की 5.058है0 कुल 5.058है0 में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार रोह ीमौजा मुन्दड़ियाछोटा के खाता सं0 134/127 के खसरा सं0 22 की 6.373है0 खसरा स0 145 की 7.6380है0 खसरा सं0 153 की 12.000है0 कुल 26.011है0 में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 1 आदराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी साहबराम, प्रतिवादी सं0 2 साधुराम प्रतिवादी सं0 3 मनीराम, को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री [illegible]।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner